

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक खातेदार श्री हीराराम पुत्र श्री खीयाराम जाति जाट निवासी म0नं0 111, ग्राम बीलू तहसील मकराना जिला नागौर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधिन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन/नियमितिकरण किया जाता है । जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम : पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	श्री हीराराम पुत्र श्री खीयाराम जाति जाट निवासी म0नं0 111, ग्राम बीलू तहसील मकराना जिला नागौर (राज0)
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	नहीं
3.	(क) संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (ख) ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम भगेश्वर ग्राम पंचायत डोकन तहसील नीमकाथाना
	(ग) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरा नम्बर 2/3 रकबा 0.35 है0
	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	खसरा नम्बर 2/3 रकबा 0.35 है0 में से 48 वर्ग मीटर
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	—
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (एक्सप्लोसिव मैगजीन) प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	10/- रू0 प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चालान सं0 246 दिनांक 15.10.2012 प्रीमियम राशि 480/- रू0
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	—
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	—
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	नही
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुए।

For M/s HEERARAM & SONS

हीराराम

Proprietor

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. यदि प्रार्थी इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति ली जाए।
2. एक्सप्लोसिव मैगजीन हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही निर्माण करना होगा।
3. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6 (3)राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जाए।
4. उक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
5. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
6. उक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 द्वारा घोषित हरित राजस्थान योजना के तहत बाउन्ड्री के सहारे-सहारे पेड़ लगाने होंगे।
9. निर्मित भवन में बरसाती पानी संग्रहण ढांचा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाया जाएगा।

प्रधिकृत अधिकारी
(जिला कलेक्टर, सीकर)

क्रमांक:-एफ.16 (30)भूरू/ग्रामीण/राजस्व/12/ 182-82

दिनांक:- 7-1-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज0 जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. पुलिस अधीक्षक, सीकर
4. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, सीकर
5. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
6. उप पुलिस अधीक्षक, वृत्त नीमकाथाना
7. तहसीलदार, नीमकाथाना
8. सूरपंच, ग्राम पंचायत, डोकन, पंचायत समिति, नीमकाथाना जिला सीकर

✓ श्री हीराराम पुत्र श्री खीराराम जाति जाट निवासी म0नं0 111, ग्राम बीलू तहसील मकराना जिला नागौर (राजस्थान)

8. रक्षित फावली।

प्रधिकृत अधिकारी
(जिला कलेक्टर, सीकर)

For M/s HEERARAM & SONS

हीराराम

Proprietor